# राजस्थान सरकार
## ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
## (ग्रामीण विकास अनुभाग–6)

**Tel. No. 0141-2227052 e-mail: pdsap_rdd@yahoo.com Website: rdprd.gov.in**

क्रमांक एफ.52(117)/ग्रावि/ग्रुप–6/एमपीलैड्स/18–19/13265-332 जयपुर, दिनांक 16 APR 2019

जिला कलक्टर
**समस्त राजस्थान।**

**विषयः–सांसद स्थानीय क्षेत्रीय विकास योजना के कियान्यवन हेतु सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय द्वारा विकसित पोर्टल को पूर्णतया कियाशील किये जाने के संबंध में ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय द्वारा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कियान्वयन एवं मोनिटरिंग हेतु एमपीलैड्स पोर्टल (mplads.gov.in) विकसित किया गया है । योजना से संबंधित समस्त प्रविष्टियॉ इसी पोर्टल में किये जाने हेतु पूर्व में निर्देशित किया जा चुका है । उक्त पोर्टल पर कार्य किये जाने हेतु जिला स्तरीय अधिकारियो एवं कर्मचारियों को भारत सरकार/ राज्य स्तर पर पूर्व में प्रशिक्षण दिये जा चुके है ।

पूर्व में राज्य योजनाओं कें साथ–साथ, एमपीलैड्स योजना का कियान्यवन एवं मोनिटरिंग विभागीय बेबसाईट आईडब्लूएमएस के माध्यम से किया जा रहा था । इस कम में विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2019–20 से 17वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसदों के द्वारा अनुशंषित कार्यो की स्वीकृतियॉ/डाटा एन्ट्री सम्बन्धित समस्त कार्य विभागीय बेबसाईट आईडब्लूएमएस पर न किया जाकर भारत सरकार की एमपीलैड्स पोर्टल पर ही किया जावे । इस संबंध में पूर्व में विभागीय पत्रांक 13084–118 दिनांक 01.04.2019 (प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से सूचित किया जा चुका है ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि वर्ष 2019–20 से 17वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसदों के द्वारा अनुशंषित कार्यो की स्वीकृतियॉ/डाटा एन्ट्री सम्बन्धित समस्त कार्य भारत सरकार की एमपीलैड्स वेबसाईट पर ही किये जावे ।

**संलग्न : उपरोक्तानुसार ।**

भवदीय
15/4/19
**(कैलाश चन्द मीणा)**
विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) समस्त राजस्थान,
2. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो.एवंमू.) ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर
3. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग,जयपुर को उक्तानुसार विभागीय बेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु ।

15/4
परियोजना निदेशक एवं
पदेन उप सचिव (एसएपी)

# राजस्थान सरकार
## ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
### (ग्रामीण विकास अनुभाग-6)

**विषयः- सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत विभागीय वेबसाईट आईडब्ल्यूएमएस में आवश्यक संशोधन करने के क्रम में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत माननीय सांसद महोदयों द्वारा अनुशंषित कार्यो के ऑनलाईन स्वीकृति बाबत् भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय द्वारा एमपीलैड्स पोर्टल विकसित किया है । अब जिलों द्वारा योजनान्तर्गत कार्यो की स्वीकृतियॉं एमपीलैड्स पोर्टल के माध्यम से ही जारी की जा सकेगी । इस प्रकार विभागीय वेबसाईट आईडब्ल्यूएमएस पर सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना हेतु निम्नानुसार आवश्यक संशोधन/प्रावधान कराने का श्रम करावें ।

1. वर्ष 2019-20 से विभागीय वेबसाईट आई डब्ल्यू एम एस पर 17वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसद (लोकसभा/राज्यसभा) के द्वारा अनुशंषित कार्यो की स्वीकृतियॉं/डाटा एन्ट्री सम्बन्धित कार्य नहीं किया जावे । उक्त अनुशंषित कार्यो की प्रविष्ट्रियॉं भारत सरकार की एमपीलैड्स वेबसाईट पर ही की जावे ।
2. 16वीं लोकसभा सांसदों द्वारा अनुशंषित कार्यो से सम्बन्धित डाटा एन्ट्री यथावत विभागीय वेबसाईट आई डब्ल्यू एम एस पर ही की जायेगी । परन्तु इसमें की गई 9 अप्रेल वाली बंदिश हटा दी जावे ।
3. जो भी राज्यसभा सांसद पदमुक्त अर्थात रिटायर हो चुके है, उनके द्वारा अनुशंषित कार्य की डाटा एन्ट्री कार्य विभागीय वेबसाईट आई डब्ल्यू एम एस पर यथावत रहेगा ।
4. वर्तमान (Sitting) राज्यसभा सांसदों (10) द्वारा वर्ष 2019-20 में अनुशंषित कार्यो से सम्बन्धित डाटा एन्ट्री विभागीय वेबसाईट आई डब्ल्यू एम एस पर नहीं किये जाने का प्रावधान किया जावे । इनसे सम्बन्धित डाटा एन्ट्री / स्वीकृतियॉं भारत सरकार की एमपीलैड्स वेबसाईट के माध्यम से ही की जावे। जिलों द्वारा पूर्व में विभागीय वेबसाईट आई डब्ल्यू एम एस में स्वीकृत / डाटा एन्ट्री को भारत सरकार की एमपीलैड्स वेबसाईट में ट्रान्सफर किया जायेगा ।

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत 15वीं विधानसभा के निर्वाचित विधायकगणों द्वारा अनुशंषित कार्य वर्ष 2019-20 से पृथक रूप से विभागीय वेबसाईट आई डब्ल्यू एम एस पर संधारित किया जायेगा ।

Rk/D/Indu jee/u-note

इसके साथ ही 14वीं विधानसभा के विधायक महोदयों द्वारा अनुशंषित कार्यो के सम्बन्ध में 9 अप्रेल वाली बंदिश हटा दी जावे । 14वीं विधानसभा के कार्य की डाटा एन्ट्री से सम्बन्धित कार्य यथावत विभागीय वेबसाईट आईडब्ल्यूएमएस पर 14वीं विधानसभा के नाम से चलते रहेंगे ।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

(विनीता सिंह)
परियोजना निदेशक एंव
पदेन उप सचिव (एस.ए.पी.)

परियोजना निदेशक एवं
उप सचिव (मो एवं मू)
ग्रामीण विकास विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर ।

---

अ.शा. टीप क्रमांक पं052(117)ग्रावि/ग्रुप-6/MPLADS/Training/18-19/13084-118

जयपुर, दिनांक 01 APR 2019

प्रतिलिपि :

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त) राजस्थान को उपरोक्तानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित है।

परियोजना निदेशक एंव
पदेन उप सचिव (एस.ए.पी.)